न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 105/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. देवीलाल पुत्र सुरजमल जाति पारीक निवासी सामी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. पटवारी, पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 29.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 350 व 351 किता 2 कुल रकबा 3.45 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिनके पुराना खसरा नम्बर 150 व 151 है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थी के कब्जे काश्त हक अधिकार में चली आ रही है। प्रार्थी के उक्त कृषि भूमियां पूर्व खातेदार केसरी बैवा महादेव जाति पारीक से सन् 1973 में पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी व तत्पश्चात राजस्व कर्मियों द्वारा नामान्तकरण संख्या 78 नियमानुसार प्रार्थी देवीलाल पुत्र सुरजमल के नाम खोला गया जो सही प्रकार से खोला गया। इसके पश्चात जमाबंन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम सुरजमल के बजाय वर्तनी में अशुद्ध सुर्जमल लिख दिया गया और इसके पश्चात सम्वत 2031 से 2034 की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम सूर्जमल के बजाय सूर्यमल राजस्व कर्मियों द्वारा लिख दिया गया जो राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार ही चलता रहा परन्तु प्रार्थी को इस तथ्य की कोई जानकारी नही रही। प्रार्थी द्वारा अभी माह अक्टुम्बर—2019 में जमाबंन्दी की ई—मित्र कियोस्क से प्रति प्राप्त करने पर इस तथ्य की जानकारी होने पर प्रार्थी ने नमान्तकरण व राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

प्रति प्राप्त की जिससे उक्त वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुयी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम की उक्त वर्णित त्रूटि लिपिकीय त्रूटि हे जो राजस्व कर्मियों द्वारा की गयी है जो त्रुटि संशोधन किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 350 व 351 किता 2 कुल रकबा 3.45 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रार्थी देवीलाल के पिता का नाम सूर्यमल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से प्रार्थी के पिता का नाम देवीलाल पुत्र सुरजमल संशेाधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी देवीलाल के पिता का नाम सूर्यमल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से प्रार्थी के पिता का नाम देवीलाल पुत्र सुरजमल संशेाधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि राजस्व ग्राम राजपुरा प0ह0 में कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 150–151 कुल रकबा 3.45 है0 किस्म बारानी–2 विक्रय पत्र के द्वारा नामान्तकरण संख्या 18 के केशरी बेवा महादेव से देवीलाल पुत्र सुरजमल के नाम दर्ज किया गया इसके बाद जमाबन्दी में भी उक्त नामान्तकरण का सही अमल दरामद किया गया जमाबन्दी चौसला सम्वत 2027 से 2030 तैयार करते समय सहवन से वादी के पिता का नाम वर्तनी में अशुद्ध सुरजमल के स्थान पर सूर्यमल दर्ज कर दिया गया तथा इसके बाद चौशाला संख्या 2031 से 2034 तैयार करते समय सुर्जमल का सुर्यमल दर्ज कर दिया गया। वर्तमान भू–प्रबन्धक कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 150 – 151 के वर्तमान खसरा नम्बर 350 – 351 की किता 2 रकबा 3.45 है0 बने है। वर्तमान जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी देवीलाल पुत्र सूर्यमल जाति पाारीक दर्ज है। जबकि प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पिता का नाम सुरजमल है। देवीलाल पुत्र सूर्यमल के बजाय देवीलाल पुत्र सुरजमल किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 350 व 351 किता 2 कुल रकबा 3.45 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रार्थी देवीलाल के पिता का नाम सूर्यमल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही व वास्तिविक रूप से प्रार्थी के पिता का नाम देवीलाल पुत्र सुरजमल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ